फर्द अहकाम

निहाल सिंह **बनाम** श्रीमान उपखण्ड, ...

नाम न्यायालय SDM चौमू

केस संख्या 60/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/2/22	प्रसाइडिंग आफीसर दौरे/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/3/22 को पेश हो	
	11/3/22	प्रसाइडिंग आफीसर दौरे/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 5/5/22 को पेश हो	
	5/5/22	प.क. उपस्थित। बहस अंतिम हेतु समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु दिनांक 12/5/22 को पेश हो। SSL	
	12/5/22	प्रसाइडिंग आफीसर दौरे/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9/6/22 को पेश हो	
	9/6/22	प.क. उपस्थित। बहस अंतिम अधिवक्ता/ उभयपक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश 6/7/22 को पेश हो। SSL	
	6/7/22	प.क. उपस्थित। वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली जाकर शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार होकर रजिस्टर नम्बर से काटी तथा दाखिल दफ्तर हो। SSL	

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 60/2013

उनवान

1. निहालसिंह पुत्र गणेशराम जाट, जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग, कस्बा चौमू जिला जयपुर।
2. श्रीमती वेदभाम्बू पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी राधास्वामी बाग, कस्बा चौमू जिला जयपुर।
3. प्रवीण कुमार पुत्र गोरीशंकर शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी अशोक विहार, कस्बा चौमूँ तहसील चौमू जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन–12, जयपुर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जयपुर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत नक्शा दुरूस्ती व घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज</u>

निर्णय दिनांक 06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि वाके कस्बा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर में साबिक खसरा नम्बर 2887, 2889 से बने हाल खसरा नम्बर 7138/1 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 7139/2 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 7140 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 7147 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 7150 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 5 कुल किता 1.31 हैक्टर वाके कस्बा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे वादी संख्या 1 का हिस्सा 81/126, वादी संख्या 2 का हिस्सा 45/126 व खसरा नम्बर 7139/2/1 रकबा 0.05 हैक्टर वादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि में निहित हिस्सो के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं।

साबिक नक्शे में साबिक खसरा नम्बर 2887, 2889 के मध्य में साबिक नक्शे में पूर्व से पश्चिम की तरफ 2888 खसरा नम्बर में राजस्व कारकुनानों की गलती के कारण रास्ता अंकन किया गया था। जबकि मौके पर कोई रास्ता कभी भी अर्सा दराज से नही रहा तथा हाल नक्शे में भी साबिक नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 7140 व 7146 के उत्तरी ओर रास्ता दर्शा दिया गया जबकि खसरा नम्बर 7150 की उत्तरी सीमा पर पूर्व पश्चिम रास्ता स्थित हैं। जो मौके पर अर्सा दराज से ही विद्यमान हैं तथा पुख्ता रोड बनी हुई हैं, तथा मौके पर 7140, 7147, 7150 के मध्य संलग्न नक्शे में रास्ते नुमा खसरा नम्बर 7146 रकबा 0.13 हैक्टर का बना हुआ हैं जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं, जहां पर रास्ता कभी भी नही रहा परन्तु राजस्व कारकुनानों की गलती के कारण साबिक नक्शे के अनुसार ही हाल नक्शे में खसरा नम्बर 7146 रकबा 0.13 हैक्टर उक्त गैं.मु. रास्ता दर्शा दिया गया जो उक्त वाद पत्र में भूमि विवादग्रस्त कहा गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की खातेदारी भूमि में से उक्त विवादग्रस्त रास्ता ना तो पूर्व में रहा ना ही वर्तमान में रहा हैं बल्कि उक्त खातेदारी भूमि में वादीगण के पुख्ता तामीर व खेल के मैदान आदि बने हुये हैं तथा चारो ओर से बाउन्ड्रीवाल बनी हुई हैं, उक्त विवादग्रस्त रास्ता ना तो मौके पर पूर्व में था ना ही वर्तमान में हैं परन्तु राजस्व कारकुनान की गलती के कारण साबिक नक्शे व साबिक नक्शे के अनुसार हाल नक्शे में गलती से वादीगण की खातेदारी भूमि में से उक्त रास्ते को मौका स्थिति से विपरित दर्शा दिया गया, जो विधिक प्रावधानों के पूर्णतया विपरित हैं।

उक्त विवादग्रस्त रास्ता जागीरदारान समय से ही साबिक खसरा नम्बर 2888 में कभी भी नही रहा ना ही वर्तमान में खसरा नम्बर 7140, 7147, 7150 के मध्य में से होकर खसरा नम्बर 7146 रकबा 0.13 हैक्टर में भी कोई रास्ता विद्यमान नही हैं। मात्र बन्दोबस्त विभाग की गलती से साबिक नक्शे अनुसार ही हाल नक्शे में रास्ता दर्शा दिया गया जो मौके की वास्तविकता के अनुसार उक्त रास्ता वादीगण की खातेदारी भूमि के उत्तरी सीमा पर पूर्व पश्चिम स्थित हैं जो पूर्व में कच्चा रास्ता था उसके पश्चात सिमेन्टेड रोड की सडकी बनी हुई हैं। जो अर्सा दराज से विद्यमान हैं जबकि उक्त रास्ते को साबिक व हाल नक्शे में विधिक प्रावधानों के विपरित होने से उक्त रास्ता जो गत व हाल नक्शे में रास्ता दर्शाया गया उसको हटाया जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज फरमाया जावें वादीगण के पुख्ता तामीरात व खेल के मैदान के भीरत में से दर्शाया गया हैं।

वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत उक्त गलती को दुरुस्त करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2012 को पैश किया था जिस पर न्यायालय श्रीमान ने उक्त प्रकरण को अन्तिम रूप से निर्णित करते हुये इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पैश करने राजस्व गलती को मानते हुये उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.12.2012 को निरस्त किया गया इसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने दिनांक 08.02.2013 एक राय होकर भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा वादीगण को आकर धमकी देने लगे की हम हाल नक्शे के अनुसार प्रदर्शित रास्ते में जबरन तोड–फोड कर नया रास्ता कायम करेंगे इस पर वादीगण ने मना किया कि हमारे पुख्ता मकानात व तामीरात व खेल के मैदान के मध्य में से होकर कभी कोई रास्ता नही रहा तथा आप कोई कार्यवाही नही करें, किन्तु प्रतिवादीगण नही माने तथा एलानिया धमकी दी की हम राजस्व रिकार्ड के अनुसार [illegible] निकालेंगे। इस कारण वादीगण को उक्त वाद पैश करना लाजमी आया हैं।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे–

(क) वाद वादीगण बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व नक्शा इन्द्राज दुरूस्ती का डिकी किया जाकर वाद पत्र में वर्णित हाल खसरा नम्बर 7147 व 7150 के उत्तरी सीमा की तरफ जो रास्ता मौके पर चालू हैं । को नक्शे व राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करते हुये वादीगण की खातेदारी भूमि के मध्य से खसरा नम्बर 7146 रकबा 0.13 हैक्टर गै.मु. रास्ते की भूमि को वादीगण की भूमि में सम्मिलित करते हुये वादीगण को खातेदारी कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested

दूर घोषित किया जाकर वादीगण की भूमि से रास्ते को हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त फरमाया जावें ।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 बावजूद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा अन्तर्गत ओदश 08 नियम 01 जाप्ता दीवानी का पेश कर निवेदन किया गया है कि:– हाल खसरा नम्बर 7140/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर खसरा नम्बर 7147/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पोत परिवहन सडक परिवहन व राज मार्ग मंत्रायलय नई दिल्ली के हक में खुले नामान्तकरण के कारण वादी द्वारा वर्णित उसरा नम्बर एवं रकबा वर्तमान मे विधमान नही है, नही कब्जा उपयोग–उपभोग है।

साबिक खसरा नम्बर 2887 व 2889 के मध्य मे साबिक खसरा नम्बर 2888 नक्शे मौके पर राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज़ रहा है, जिस साबीक खसरा नम्बर 2888 के हाल नम्बर 7146 बनाये गये है, मौके पर रास्ता था अथवा नही इस तथ्य से कोई फर्क नही पड़ता है, वादी का यह वर्णित करना कि हाल नक्शे मे 7140 व 7146 के उत्तरी और रास्ता दर्शा दिया गया जबकि उक्त रास्ता 4147 व 4150 की उत्तरी सीमा पर पूर्व–पश्चिम रास्ता विद्यमान है, तथा पुख्ता रोड बनी हुई आदि–आदि कथन पूर्णतया गलत है, खसरा नम्बर 7146 तो स्वय रास्ते का नम्बर है जो साबिक खसरा नम्बर 2888 से बनाया गया है जहां तक 7147 व 7150 के उत्तरी ओर रास्ता विधमान होने का प्रश्न है वह रास्ता स्वय वादी द्वारा अपनी खरीद शुदा भूमियो मे से अपनी सुविधा के हिसाब से छोडा है, जिस कारण मन प्रतिवादी की अभिलिखित खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 7146 से वादी का कोई सरोकार व सम्बन्ध नही है, पूर्व में भी रिकार्ड मे रास्ता दर्ज़ रहा है और आज भी रास्ता दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 7146 साबिक खसरा नम्बर 2888 से बनाया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 2888 की खातेदारी भी पूर्व मे मन प्रतिवादी जिसकी पुट स्टेप पर आया है, उनकी खातेदारी मे दर्ज रही है, वादीगण का यह वर्णित करना कि उनकी खातेदारी मे से रास्ता नही रहा आज भी खसरा नम्बर 7146 रकबा 0.13 है0 मन प्रतिवादी की पृथक से खातेदारी है, जिसको वादी अपनी खातेदारी मे मिलाकर अपनी सुविधा अनुसार दुरुस्थी करवाने का कानूनन अधि[illegible] नह[illegible] नही वादग्रस्त भूमि एवं वादी द्वारा अपनी खातेदारी मे से छोडे गये सुविधानुसार [illegible] रकबा बराबर नही है, लिहाजा वाद पत्र मे वर्णितानुसार रास्ता गलत नही दर्शाया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा भूमिया खरीद की है, जिस खरीद के दस्तावेज से भी उक्त वादी द्वारा वर्णित तथ्य साबित नही है, साबिक नक्शे मे भी रकबा दर्ज़ रहा है और आज भी रास्ता दर्ज है, जिसकी खातेदारी मन प्रतिवादी के नाम से है, वादी को अपनी सुविधा व वादी की सम्पत्ति की उपयोगिता बढाने मात्र के लिए उक्त गलत तथ्य वर्णित किये है, लिहाजा दावा मे चाहा गया अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, वादी द्वारा मन प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 7146 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर कोई अवैध कब्जा

कर लिया हो तो वह एक अतिक्रमी मात्र है, जिसे कानूनी प्रावधान अनुसार मन प्रतिवादी की भूमि पर कोई हक अधिकार अर्जित नही होते है, प्रतिवादी वादीगण को बेदखल करवाने का अधिकारी है। किसी की अपनी भूमि में मिला लेने से कोई हक अधिकार नहीं मिल जाते है।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र पी0डब्ल्यू–1 निहाल सिंह ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–2 साबिक नक्शा, प्रदर्श–3 हाल नक्शा, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2039–2042, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्बत 2033–2038, प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–7 मु0न0 09/2012 के निर्णय की प्रति प्रस्तुत किये है। तथा पी0डब्ल्यू–2 मदन लाल के बयान कराये है।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वादीगण की ओर से बहस में वादपत्र को दोहराते हुए कथन किया गया है कि ख0न0 7147, 7150 की उतरी सीमा पर रास्ता चालू है। ख0न0 7147, 7150 की उतरी सीमा पर जे0डी0ए ने स्वयं ने रोड बनाई है। तथा 7147 व 7150 की दक्षिणी सीमा में नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता मौके पर मोजुद नही रहा है। मौके पर निजी स्कुल का ग्राउण्ड बना हुआ है। ऐसे में उसकी खातेदारी पक्षकार के पक्ष में करते हुए उतरी दिशा में जो रास्ता चालू है उसे जे0डी0ए के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से बहस में कथन किया है कि वादीगण जिस भूमि को स्वयं की खातेदारी में अंकित करवाना चाह रहे है उसका उपयोग कृषि में नही हो रहा है तथा स्वयं की खातेदारी भूमि का भी लगान नही दिया जा रहा नही कृषि के कार्य में आ रही है। घोषणात्मक दावे से पूर्व जे0डी0ए एक्ट 1982 की धारा 79 का लिखित नोटिस देना आदेशात्मक है। प्रकरण में नोटिस नही दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 92 अनुसार जे0डि0ए0 एक्ट अन्य विधियों पर अभिभावी है। मौके पर जे0डि0ए ने रोड डाली है इसका कोई साक्ष्य नही है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण के बाबत तहसीलदार चौमूं को प्रेषित पटवार हल्का चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 02.05.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित खसरा नम्बर 7146 रकबा 0.13 है0 वादी की पुख्ता तामिरात एवं मैदान बना हुआ है जो काफी पुराना है तथा वादी की खातेदारी भूमि खसरा [illegible]47/2 व 7150 की उत्तरी सीमा पर वादीगण ने अपनी भूमि में [illegible] बना रखा है जो रास्ता मौके पर चालू है। इस प्रकार [illegible] अनुतोष का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि वादी स्वयं की खातेदारी भूमि ख0न0 7147 व 7150 में मौके पर चालू रास्ता रकबा 0.13 है0 को अपनी खातेदारी भूमि में से कम करते हुए तरमीम करवाने पर सहमत है तथा ज0वि0प्रा0 के नाम अंकित ख0न0 7146 रकबा 0.13 है0 की खातेदारी अपने नाम अंकित करवाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाना चाहा गया है। उक्त प्रकार से मौके पर ख0न0 7146 रकबा 0.13 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested

में जाकर स्वयं वादीगण के नाम ख0न0 7147 व 7150 के उत्तरी सीमा पर स्थित मौके पर चालू रास्ता रकबा 0.13 है0 की खातेदारी प्रतिवादी ज0वि0प्रा0 के नाम अंकित की जाकर दुरूस्ती करने पर प्रतिवादीगण या राज्य सरकार के हक अधिकारो पर कोई विपरित असर नही पड रहा है ऐसे में वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती व घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज का स्वीकार किया जाकर कस्बा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित प्रतिवादी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित ख0न0 7146 रकबा 0.13 है0 किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्थी के आदेश दिये जाते है तथा कस्बा चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 7147 व 7150 के उत्तरी सीमा की तरफ जो रास्ता रकबा 0.13 है0 में मौके पर वादीगण की खातेदारी में चालू हैं को नक्शे व राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करते हुये वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम खातेदारी अंकित कर दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(सीमा खेतान)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:22:18 IST
Reason: SelfAttested